न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 46 / 2019

1 रामचन्द्र पुत्र नानूराम
2 औकार पुत्र झुथा
3 रामसिंह पुत्र बिड़दीचंद
4 ग्यारसीलाल पुत्र बोदु
5 पप्पु उर्फ सतवीर पुत्र बोदु
6 फूलचन्द पुत्र बोदु
7 रमेश पुत्र शान्तिदेवी
8 महिपाल पुत्र बिड़दीचंद
9 सरबती देवी स्त्री स्व. मातादीन
10 सुरेश पुत्र स्व. मातादीन
11 बनारसी स्त्री बिड़दीचंद
समस्त जाति जाट निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 रतनलाल पुत्र रामसहाय
2 हजारीलाल पुत्र रामसहाय
3 जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवतराम उर्फ सांवलराम
4 राजेन्द्र पुत्र रामधन
5 राकेश पुत्र रामधन
6 सुमित्रा स्त्री स्व. श्रीराम
7 विजय सिंह पुत्र श्रीराम
8 छीतर पुत्र श्रीराम
9 राजु पुत्र श्रीराम
10 मन्जु पुत्री श्रीराम
11 सचिन पुत्र श्रीराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 मोहरली स्त्री रामसहाय फौत
क– रतनलाल पुत्र रामसहाय
ख– हजारी लाल पुत्र रामसहाय
समस्त जाति जाट निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
ग– प्रभाती पुत्री स्व. रामसहाय स्त्री श्री भाताराम जाति जाट निवासी हायमाला उर्फ कुलडियों की ढाणी तन डाबला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
घ– ग्यारसी पुत्री रामसहाय स्त्री लीलाराम जाति जाट निवासी हायमाला उर्फ कुलडियों की ढाणी तन डाबला तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
ड़– शांति पुत्री रामसहाय स्त्री प्रेमसिंह जाति जाट निवासी भोपालपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
13 गुलाबी बेवाह सांवतराम
14 छगनलाल पुत्र नानुराम
15 राजपाल पुत्र बिडदीचंद
16 माली पुत्री श्योकोरी
17 संन्तोष देवी पत्नी सन्नी दिवाच
18 कमलेश देवी पत्नी रतनलाल दिवाच
19 श्योराम पुत्र मंशाराम
समस्त जाति जाट निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
20 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।
21 उप पंजियक महोदय नीमकाथाना।
22 महेश पुत्र स्व. मातादीन
23 उषा देवी पुत्री स्व. मातादीन
24 मन्जु देवी पुत्री स्व. मातादीन
25 सुशीला पुत्री स्व. मातादीन
26 बीरबल पुत्र नानुराम
27 सुमेर पुत्र झुथा
28 मनजीत पुत्र शान्तिदेवी
29 जगदीश पुत्र झुथा
समस्त जाति जाट निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राज. अपील अधि. सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 27.06.2019 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बसिलसिले दावा उनवानी रामचन्द्र आदि बनाम रतनलाल आदि दावा संख्या 163/2017 अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधि.

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेन्द्र कुमार जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 29/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 163/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 539, 563, 567, 583, 593, 599, 602 वाके ग्राम हीरानगर तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 29 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष दावा दिनांक 12.09.2017 को प्रस्तुत किया गया था उक्त दावे में कुल 28 प्रतिवादीगण थे दिनांक 21.11.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 9 ता 14 व 18 की ओर से श्री गोपाल लाल शर्मा व बलबीर जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया था इसके पश्चात उक्त दावा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु चल रहा था व उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादीगण संख्या 8 व 15, 16, 17 व 19 लगायत 28 की तामिल हुये बिना व उक्त प्रतिवादीगण की तलबी बाबत कोई आदेश पारित किए बिना ही विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.06.2019 प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 29/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम दिनांक 10.05.2018 को प्रस्तुत किया व प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 13 की ओर से जवाब दावा दिनांक 18.05.2018 को प्रस्तुत किया व इसके अलावा अन्य किसी प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादीगण संख्या 3, 13 व 14 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी कानूनन दावे व जवाब दावे के अनुसार तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी फिर भी विचारण न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं किए जाने बाबत अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया और अपना निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री विरूद्ध कानून पारित की है जो निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टान संख्या 13 की ओर से जवाब दावे के साथ काउंटर क्लेम भी दिनांक 19.05.2018 को प्रस्तुत किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम बाबत कोई निर्णय पारित किए बिना ही अपना निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री जैर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टान की तलबी किए बिना व काउन्ट क्लेम का कोई निर्णय किए बिना ही पत्रावली दिनांक 29.03.2019 को रेस्पोडेन्टान की तलबी हेतु नियत थी में तलबी बाबत कोई आदेश पारित किए बिना ही विरूद्ध कानून आदेशिका दिनांक 29.03.2019 में पत्रावली में वास्ते बहस दिनांक 12.05.2019 नियत कर दी और उक्त आदेश व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों के विरूद्ध होने से विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूमि खसरा नम्बर 1822 व 1827 तन ग्राम नीमकाथाना जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का संयुक्त रूप से केवल 1/24 हिस्सा होते हुए भी उसने अवैध रूप से अपीलान्टान को कोई जानकारी दिए बिना ही उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से दिनांक 16.11.1992 को 900 वर्गमीटर का ईंट भट्टा हेतु रूपान्तकरण करवा लिया व विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य आने के बाद अवैध रूप से विरूद्ध कानून संयुक्त कब्जे व काश्त की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अविभाजित भूमि में से 900 वर्गमीटर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में मानकर अपना निर्णय प्रारम्भिक डिक्री जैर अपील विरूद्ध कानून पारित की है जो निरस्तनीय है। दावे में वर्णित भूमियां अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 19 व 22 ता 29 की संयुक्त कब्जे व काश्त की अविभाजित आराजियात है जिनका पक्षकारान के मध्य आज तक कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ फिर भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 900 वर्ग मीटर भूमि अकेले को छोड़ने का निर्णय कतई गलत पारित किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भूमि खसरा नम्बर 1822 व 1827 में केवल 1/24 हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर कोई दस्तावेज प्रदर्शित हुए बिना व बिना पक्षकारान की साक्ष्य लिए ही अपना निर्णय जैर अपील विरूद्ध कानून पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 539, 563, 567, 583, 593, 599, 602 वाके ग्राम हीरानगर तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादी अपीलान्ट द्वारा वाद में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इससे अपीलान्ट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचाराधीन प्राथमिक डिक्री से अपीलान्ट को किसी प्रकार की विधिक आपत्ति का अपील में अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 539, 563, 567, 583, 593, 599, 602 वाके ग्राम हीरानगर तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

विचारण न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना में तामील पूर्ण करवाये बिना जवाब दावा प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विधिक प्रावधानों के विपरित सीधे ही विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि शेष प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 29/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर